ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

श्री किशन बनाम मुरली

न्यायालय

संख्या 640/08 धारा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10-2-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। तनकी संख्या 1 ता 6 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी 10, प्रतिवादी 9 ता 19 [illegible] के पक्ष में साबित होने से वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –640/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.04.2008

1. श्री किशन
2. रामचंद्र मृतक दौराने दावा
   2/1 श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री रामचंद्र
   2/2 रोशन पुत्र स्व. श्री रामचंद्र उम्र – 14 वर्ष जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगा देवी निवासीयान ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/3 अनिता पुत्री स्व. श्री रामचंद्र पत्नी श्री रामप्रसाद
   2/4 सुनिता मीणा पुत्री स्व. श्री रामचंद्र पत्नी श्री सांवरमल निवासीयान ग्राम खेड़ी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. मातादीन पुत्र भगुता जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।

............वादीगण

बनाम

1. मुरली
2. हरिनारायण
3. कल्याण सहाय
4. सेडराम
   पुत्रान सुवा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
5. मूंगा पुत्र झूंथा मृतक दौराने दावा
   5/1 दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री मूंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर,जिला जयपुर राज.।
6. मु. फूली बेवा गोपी (मृतक दौराने दावा)
7. बद्री पुत्र गोपी
8. भगवान सहाय पुत्र गोपी
   जाति मीणा, निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
9. मालीराम
10. बोदूराम
11. चावलराम
    पुत्रान कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।
12. श्रीमती गुलाब बेवा शिशुपाल
13. अनार पुत्री श्री शिशुपाल
14. ग्यारसी लाल पुत्र शिशुपाल
15. भंवरलाल पुत्र शिशुपाल
    समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गुलाब देवी

16. मंगेजा पुत्र नारायण मृतक दौराने दावा

16/1 चांवली देवी पत्नी मंगेज

16/2 लालाराम पुत्र मंगेज

जाति मीणा निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर जिला जयपुर राज.

16/3 श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री मंगेज पत्नी श्री सुरेश

16/4 श्रीमती लाली देवी पुत्र स्व. श्री मंगेज पत्नी श्री सरदार समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

17. छीतर पुत्र सूण्डा मृतक दौराने दावा

17/1 श्रीमती बनारसी देवी पत्नी स्व0 श्री छीतर

17/2 रामकिशोर पुत्र स्व. श्री छीतर

17/3 ताराचंद पुत्र स्व. श्री छीतर

17/4 महावीर पुत्र स्व. श्री छीतर

17/5 श्रीमती कब्बू पुत्री स्व. श्री छीत्तर पत्नी राकेश जाति मीणा

17/6 श्रीमती विमला देवी पुत्र स्व. श्री छीतर पत्नी ओमप्रकाश निवासीयान ग्राम रायथल रामपुरा तहसील सांभर जयपुर।

17/7 श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री छीतर पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

18. कैलाश

19. प्रहलाद पुत्रान सूण्डा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री महादेव जाट– अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजकुमार गठाला– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. श्री शिवसिंह चौधरी– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 से 19 तक

निर्णय दिनांक 10.02.2025

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं[illegible] 2 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा जो नारायण की मृत्यु के पश्चात उस[illegible]कारी सूण्डा, मंगेजा, भगुता का 1/3 हिस्सा प्रत्येक का होने से उनके [illegible] अंकित किए गये तथा भगुता की मृत्यु के पश्चात वादीगण [illegible]राधिकारी की हैसियत से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए तथा सूण्डा की मृत्यु के पश्चात उ[illegible] उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये गये। झूंथा की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बरना तहसील आमेर में साबिक खाता संख्या– 2 में खसरा नंबर 5 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा खसरा नंबर 8 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा खसरा नंबर 9 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नंबर 10 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 16 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 17 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नंबर 18 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 19 रकबा 05 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

खसरा नंबर 20 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा झूंथा की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि झूंथा के उत्तराधिकारी काना, गोपी, मंगा, सुवा के नाम हो गयी तथा काना, गोपी, सुवा की मृत्यु के पश्चात रिकॉर्ड में इनके उत्तराधिकारियों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 लगायत 15 के नाम दर्ज हो गयी। नारायण और झूंथा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बरना तहसील आमेर में साबिक खाता संख्या 73 में खसरा नंबर 1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 11 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 12 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 13 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा की उक्त कृषि भूमि में नारायण और झूंथा का बराबर बराबर 1/2 हिस्सा था। परंतु झूंथा और नारायण की मृत्यु के पश्चात गलती से राजस्व रिकॉर्ड में झूंथा और नारायण के पुत्र सूण्डा का ही नाम दर्ज हुआ तथा इनकी मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से में झूंथा के समस्त उत्तराधिकारियों का वैद्य अधिकार है तथा 1/2 हिस्से में नारायण के समस्त उत्तराधिकारियों का वैद्य अधिकार है।

उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा होने पर वादीगण के हक में निम्न प्रकार कृषि भूमि आनी चाहिये वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि साबिक खाता संख्या 95 जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में अंकित खसरा नंबर 1 व 6 की कुल कृषि भूमि 36 बीघा 17 बिस्वा का 1/3 हिस्सा वादीगण एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 का स्पष्ट अंकित है उक्त सभी के हिस्से में 12 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि सभी के हिस्से में आती है। साबिका खाता संख्या 73 ग्राम बरना की कृषि भूमि खसरा नंबर 2, 3, 7, 11, 12, 13 की कुल कृषि भूमि 20 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 20 का 1/2 हिस्सा में से वादीगण के हिस्से में 3 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि आती है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य कतई अवैध एवं विधि प्रतिकूल मनमाना बंटवारा कर निम्न प्रकार अलग–अलग खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खोल दी। हाल खाता संख्या 52 प्रतिवादीगण 17 लगायत 19 के नाम कृषि भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 7 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 रकबा 0. 19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8/889 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9/890 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10/891 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/892 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29/1018 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम बरना में उनकी खातेदारी में दर्ज है जबकि वैद्य बंटवारों के परिणाम स्वरूप 3. 90 हैक्टेयर जो खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये इस तरह 0.20 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी में अंकित की गई है। खाता संख्या 92 प्रतिवादी 6 लगायत 8 के नाम कृषि भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 0.54 हैक्टेयर खसरा नंबर 23 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.84 हैक्टेयर, [illegible] 29 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26/96[illegible] रकबा [illegible]02 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर कृषि भूमि वैद्य [illegible] तरह 0.81 हैक्टेयर कृषि भूमि अधिक उनकी खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 के खाते में ग्राम बरना की कृषि भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 31 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.51 हैक्टेयर है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 05 के हिस्से में 2.51 हैक्टेयर कृषि भूमि उसकी खातेदारी में अंकित है जबकि विधि अनुकूल वैद्य बंटवारे से उसकी खातेदारी में 1.70 हैक्टेयर कृषि भूमि आनी चाहिये इस तरह प्रतिवादी संख्या 5 की खातेदारी में 0.81 हैक्टेयर कृषि भूमि अधिक दर्ज हो गयी। खाता संख्या 119 प्रतिवादी संख्या 16 के खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

की कृषि भूमि ग्राम बरना में खसरा नंबर 1 रकबा 2.40 हैक्टेयर खसरा नंबर 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नंबर 3 रकबा 1.43 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर वैद्य बंटवारे के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी संख्या 13 के हिस्से में 3.90 हैक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिये जो लगभग सही है।

हाल खाता संख्या 135 वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बरना में खसरा नंबर 17/1017 रकबा 0.15 हैक्टेयर इसके अलावा खाता संख्या 136 में खसरा नंबर 16 रकबा 0. 03 हैक्टेयर खसरा नंबर 15/893 रकबा 0.02 हैक्टेयर में कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.02 हैक्टेयर ही कृषि भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज है जबकि वैद्य बंटवारे के परिणाम स्वरूप उनकी खातेदारी में 3.80 है, कृषि भूमि होनी चाहिये परंतु 3.73 हैक्टेयर कृषि भूमि उनकी खातेदारी में कम दर्ज की गयी है। खाता संख्या 107 प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 एवं 12 लगायत 15 की कृषि भूमि ग्राम बरना में खसरा नंबर 33 रकबा 0.06 हैक्टेयर खसरा नंबर 34 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 36 रकबा 0.21 हैक्टेयर खसरा नंबर 37 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 40 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 1.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 42/895 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 44/900 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर है। कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 12 की खातेदारी में दर्ज है। जबकि वैद्य बंटवारे के परिणाम स्वरूप उनके खाते में मात्र 1.70 हैक्टेयर कृषि भूमि आनी चाहिये जबकि 1.63 हैक्टेयर कृषि भूमि उनकी खातेदारी में अधिक दर्ज हो गयी है। खाता संख्या 110 ग्राम बरना की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कृषि भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 0.14 हैक्टेयर खसरा नंबर 15 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 17 रकबा 0. 99 हैक्टेयर खसरा नंबर 18 रकबा 0.62 हैक्टेयर खसरा नंबर 19 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नंबर 20 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नंबर 21 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0. 06 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज है। जबकि वैद्य तकासमें में परिणाम स्वरूप 1.70 हैक्टेयर कृषि भूमि आनी चाहिये इस प्रकार 0.96 हैक्टेयर कृषि भूमि अधिक उनकी खातेदारी में दर्ज हो गयी है। उपरोक्त प्रकार ग्राम बरना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य गलत एवं अवैध तकासमा के परिणाम स्वरूप खोली गई खातेदारी उपरोक्त कतई विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी नंबर 1, 2, 4 व 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित वंशावली अपूर्ण तथा सही नहीं होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है. वादीगण ने यह तथ्य कतई असत्य अंकित किया है कि मद हाजा में वर्णित भूमि नारायण की खातेदारी व अधिकार की भूमि थी, जबकि सही तथ्य यह है कि मेरे उत्तरदातागण अपने नाम दर्ज भूमि [illegible] काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज है। वाद प[illegible] नंबर 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जिसके संबंध [illegible] अतिरिक्त कथन में अंकित किये जा रहे हैं। वाद पत्र के मद न[illegible] रूप से सही अंकित नहीं किये है तथा इनका जवाब जवाब दावे के अतिरिक्त कथन में [illegible]क्त किया जा रहा है। वाद पत्र के मद नंबर 10 में वर्णित तथ्य सही अंकित नहीं किये गये है मद हाजा में वर्णित भूमि के अलावा अन्य समस्त कृषि भूमियां जो ग्राम बरना व बरसिंहपुरा में स्थित है जिस पर पक्षकारान ने कई वर्षों पूर्व से ही अलग अलग काबिज काश्त है शेष तथ्य जवाब दावे के अतिरिक्त कथन में ओर अंकित किये जा रहे हैं। वाद पत्र के मद नंबर 11 में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं है मद हाजा में वर्णित भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि जो वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

वर्णित है पर पक्षकारान वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज काश्त है जिस कारण वादीगण मान्य न्यायालय से कब्जे काश्त के अभाव में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वाद पत्र के मद नंबर 12 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वादी ने मद हाजा में अस्पष्ट तथ्य अंकित किये है जिनका कतई कोई स्पष्ट अर्थ जाहिर नहीं होता है सही तथ्य यह है कि वाद हाजा में वर्णित समस्त कृषि भूमियों पर पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज व काश्त है व उक्त अनुसार ही पक्षकारान का हक व अधिकार है। वाद पत्र के मद नंबर 13 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वादी ने मद हाजा में किसी भी तथ्य को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है जबकि वादी को अपनी प्लीडिंग्स में समस्त तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित करने चाहिए थे, ऐसा जानबूझकर वादी ने नहीं किया है वाद के मद नंबर 13 में वर्णित उप मद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में वर्णित तथ्य वादी ने जानबूझकर अपनी मनमर्जी से गलत रूप से वर्णित किये है जो सही नहीं होने से अस्वीकार है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड समस्त पक्षकारान की पूर्ण सहमति से कई वर्षों पूर्व से चला आ रहा कब्जे–काश्त के आधार पर बनाया गया है जो पूर्वतः विधिक है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही पक्षकारान का लंबे समय से अर्थात पीढी दर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा समस्त पक्षकारान अपने अपने खातेदारी में वर्णित भमियों पर मकानात पशुओं के बाडे आदि बनाकर निवास कर रहे हैं तथा हाल खातेदारी के अनुसार अपनी अपनी खातेदारी भूमियों पर कुंए व ट्यूबवेल का निर्माण करवाकर व विद्युत कनेक्शन लगवाकर कृषि कार्य करते आ रहे है व जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं। वाद पत्र के मद नंबर 14 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक हक व अधिकार व कब्जे काश्त के अनुसार ही बना हुआ है जो समस्त पक्षकारान की सहमति से ही तथा उनकी स्वीकृति से ही बनाया गया है जो कतई सही है इस कारण से वादीगण मान्य न्यायालय से कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र के मद नंबर 15 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के विपरित बिना कब्जे काश्त के वादीगण मान्य न्यायालय से कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र के मद नंबर 16 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वादीगण मान्य न्यायालय के समक्ष मद हाजा में चाही गई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य प्रकार की कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद नंबर 17 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है दिनांक 26.02.2003 व दिनांक 27.02.2003 या अन्य किसी भी दिन व दिनांक को वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद में वर्णित भूमि के संबंध में कोई भी बात नहीं हुई नहीं कोई विवाद ही हुआ वादी ने बिना वाद कारण के वाद प्रस्तुत किया है जो वाद कारण के अभाव में ही खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद नंबर 18 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वादीगण ने मद हाजा में दिनांक 26.2.2003 व दिनांक 27.02.2003 की कोई घटना होने के संबंध में गलत तथ्य अंकित किये है उक्त दिन व दिनांक को पक्षकारान के मध्य कतई कोई घटना नहीं हुई है नहीं कोई विवाद ही हुआ वादीगण [illegible] अंकित किये है तथा वाद वादीगण बिना वाद कारण के ही प्रस्तुत किया है जो [illegible] के अभाव में ही खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद [illegible] है जो जवाब का मोहताज नहीं है। वादीगण द्वारा चा[illegible] नंबर क, ख, ग, घ, ड. वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वाद वादीगण मय [illegible] खर्चे के खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी नंबर 7 की ओर से जवाब दावा में अंकित किया गया कि मद नंबर 1 में वर्णित वंशावली अपूर्ण तथा सही नहीं होने से अस्वीकार है। वादीगण ने यह तथ्य कतई असत्य अंकित किया है कि मद हाजा में वर्णित भूमि नारायण की खातेदारी व अधिकार की भूमि थी जबकि सही तथ्य यह है कि मेरे उत्तरादातगण अपने नाम दर्ज भूमि पर कई वर्षों पूर्व से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। तथा वर्तमान में खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible]

काश्तकार दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है। जिस कारण से वादी मान्य न्यायालय से कतई कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तथा वादीगण के हक व अधिकार की भूमि वादीगण के नाम से है आज भी दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादीगण के नाम से अधिक भूमि दर्ज नहीं है इसलिए वाद वादी खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 19 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में अंकित सजरा खानदान अपूर्ण होने से जिस प्रकार वर्णित किया है अस्वीकार है (अ) वादी ने शिशुपाल पुत्र काना की बेवा श्रीमती गुलाब देवी को सजरे में अंकित नहीं किया है जबकि वाद पत्र के शीर्षक में गुलाब देवी को बहैसियत प्रतिवादी संख्या 12 अंकित किया है। (ब) इसी तरह प्रतिवादी 5 मूंगा के वारिस प्रतिवादी संख्या 5/1 को दुर्गाराम पुत्र मूंगाराम अंकित किया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नाम दुर्गाराम न हो कर दुर्गा सहाय पुत्र मूंगा अंकित है। (स) प्रतिवादी 16 मंगेज पुत्र नारायण के वारिसान 16/1 मु0 चावली बेवा मंगेज, 16/2 लालाराम, 16/3 श्रीमती गीता व 16/4 लाली देवी को सजरा खानदान में अंकित नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान संशोधित किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित तथ्य में वादीगण ने खाता संख्या 85 किस साल संवत को है अंकित नहीं किया है जो किया जाना आवश्यक है इस मद में यह भी अंकित नहीं किया गया कि नारायण की वल्दियत क्या है व उसका स्वर्गवास कब और किस साल संवत में हुआ। उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2032 से 2035 अनुसार खसरा नंबर 1 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 6 रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार सूण्डा व मंगेज पुत्रान नारायण हिस्सा 2/3 व श्री किशन, रामचंद्र व मातादीन पुत्र भगुता हिस्सा 1/3 अंकित है। शेष इबारत वादी स्वयं प्रमाणित करे। उक्त खातेदारान में से सुण्डा व मंगेज पुत्राना नारायण व रामचंद्र पुत्र भगुता का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है अस्पष्ट है खाता संख्या 2 किस साल संवत के है तथा झूंथा जिसकी वल्दियत अंकित नहीं की है राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2032 से 2035 अनुसार साबिक खसरा नंबरान् 5 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 8 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 9 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 10 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 16 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 17 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 18 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 18 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 19 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 चाह व खसरा नंबर 20 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काना, सुवा, गोपी, मूंगा पुत्रान झूंथा कोम मीणा अंकित है। उक्त सभी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारान् का स्वर्गवास हो चुका तथा उनके वारिसान काबिज काश्तकार है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2032 से 2035 के अनुसार इस मद में अंकित खसरा नंबरान् 1 गलत अंकित किया इसके स्थान पर खसरा नंबर 2 है जिसका [illegible] नंबर 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख[illegible] नंबर 11 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 12 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 13 रकबा [illegible] 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा है जिसके रिकॉर्डेड [illegible] काश्तकार कान्या पुत्र झूंथा हिस्सा 1/2 व सूण्डा पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 वादी ने इस [illegible] में उक्त कृषि भूमि को नारायण व झूंथा की संयुक्त खातेदारी की होना गलत अंकित किया है। जमाबंदी संवत 2036 से 2039 अनुसार विशिष्ट कॉलम नंबर 17 में नामांतकरण संख्या .... अंकित कर कान्या व सूण्डा के स्वर्गवास पर बिरासत दर्ज कर, भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार मालीराम, बोदूराम, चावल्या, बृच्या (शिशुपाल) पुत्रान काना हिस्सा 1/2, छीतर, ठाकरया (कैलाश) गिरधारी पुत्र सूण्डा हिस्सा 1/2 कोम मीणा सा. देह अंकित है। शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद संख्या 5 में अंकित तथ्य अस्पष्ट होने से अस्वीकार है वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा कब व किस न्यायालय से हुआ। वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि किता 2 रकबा 36 बीघा 17 में नारायण पुत्र चौखा के वारिसान सूण्डा, भगुता व मंगेज के वारिसों का 1/3, 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है जवाब वाद पत्र के मद संख्या 4 में विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि वादीगण का आराजी साबिक खसरा नंबर 2, 3, 7, 11, 12, 13 कुल किता 6 बिस्वा हिस्से में आने का गलत अंकित किया है इसलिए अस्वीकार है। वाद पत्र के मद संख्या 7 में वर्णित तथ्य में वर्णित साबिक खसरा नंबर किता 9 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा में मूल पुरूष झूंथा के 4 पुत्रान काना, सुवा, गोपी, व मूंगा का हिस्सा 1/4, 1/4 होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का इस मद में वर्णित 20 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण 9 लगायत 11 प्रत्येक का 1/8, 1/8, 1/8 व 12 लगायत 15 का 1/8 हिस्सा है अर्थात 1/2 हिस्सा है शेष हिस्सा 1/2 के सूण्डा पुत्र नारायण के वारिसान हकदार व खातेदार काश्तकार है। वाद पत्र के मद संख्या 9 में वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। वाद पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित तथ्य कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा विधि प्रतिकूल बंटवारा भूमि वादग्रस्त का कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलग–अलग खाता व लगान कायम किया है स्वीकार है। कानूनन भू–प्रबंध विभाग को पक्षकारों की सहमति पर भी भूमि का विभाजन करने का वैधानिक अधिकार नहीं है बिना अधिकार के किया गया बिना अधिकार के किया गया विभाजन प्रारम्भ से अवैध हो कर शून्य प्रभावी है। भू–प्रबंध विभाग मात्र भू–प्रबंध के पूर्व जमाबंदी में अंकित खातेदारों की खातेदारी को दोहराने मात्र है। सक्षम न्यायालय के निर्णय डिक्री, दान वसीयत आदि के आधार पर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी में परिवर्तन किया जा सकता है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी को रिकॉर्डेड खातेदारान की खातेदारी में परिवर्तन करने या सह–काश्तकारान की भूमि का विभाजन करने का वैधानिक अधिकार नहीं है तथा बिना क्षेत्राधिकार के किया गया विभाजन शून्य करणीय नहीं है। इसलिए भू–प्रबंध से पूर्व की जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड कायम कर, भू–प्रबंध के दौरान साबिक खसरा नंबरान से बने नवीन खसरा नंबरान को खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । खाता संख्या 52 की जमाबंदी में अंकित नहीं किया है प्रतिवादी 17 लगायत 19 का अर्थात् छीतर, कैलाश व प्रहलाद की खातेदारी होना अंकित किया है। हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 1109, 9/890, 10, 10/891, 11, 11/892, 12, 13 व 28, 29/1018 कुल किता 16 रकबा 3.70 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार कैलाश पुत्र सूण्डा हिस्सा 1/3 प्रहलाद पुत्र सुण्डा हिस्सा 1/3 प्रहलाद पुत्र सूण्डा व बनवारी देवी पत्नी छीतर हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण ने इस मद में वैध बंटवारे का हवाला अवश्य दिया है किंतु यह स्पष्ट नहीं किया है वैध बंटवारा कब हुआ व रकबा 3.90 किस आधार पर बना है। 0.20 है भूमि कम होने का भी अंकन गलत होने से अस्वीकार है शेष अभिकथन अतिरिक्त में दिया जा रहा है। बिन्दु संख्या [illegible] वादीगण ने इस मद में खाता संख्या 92 का हवाला दिया किंतु [illegible] अंकित नहीं किया है जो किया जाना आवश्यक है इस मद में अंकित खसरा नंबर [illegible] जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 113 में अंकित खसरा नंबर 22, 23, 26, 27, 29, 29/969, 30 कुल किता 7 रकबा 2.59 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार बद्रीनारायण पुत्र गोपी हिस्सा 1/3, बद्रीनारायण पुत्र गोपी हिस्सा 1/6, भगवान सहाय पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 व भगवान सहाय पुत्र गोपी हिस्सा 1/6 अंकित है। अर्थात बद्रीनारायण व भगवान सहाय बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 के खातेदार काश्तकार अंकित है वादीगण ने जो विधि द्वारा बंटवारे का अंकन कर 1.70 है का खातेदार होना व 81 हैक्टेयर अधिक दर्ज होना अंकित किया है वह गलत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अस्वीकार है शेष इबारत अतिरिक्त कथन में दिया जा रहा है। मद संख्या 10(3) में वादीगण ने खाता संख्या 111 प्रतिवादी 5 के खातेदारी में होना अंकित किया किंतु जमाबंदी का संवत अंकित नहीं किया है इस मद में अंकित खसरा नंबरान् 24, 25, 31, 32 कुल किता 4 रकबा 2.51 हैक्टेयर हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार दुर्गा सहाय पुत्र मूंगा के नाम अंकित है। वादीगण ने विधि अनुसार विभाजन में 1.70 हैक्टेयर भूमि आना अंकित कर 0.81 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज होना अंकित किया है जो गलत होने से अस्वीकार है। शेष कथन अतिरिक्त कथन में दर्ज किया जा रहा है। मद संख्या 10(4) वादीगण ने खाता संख्या 119 प्रतिवादी संख्या 16 की खातेदारी की कृषि भूमि अंकित किया है। किंतु किस संवत की है स्पष्ट नहीं किया इस मद में अंकित खसरा नंबर 1 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नंबर 3 रकबा 3.86 हैक्टेयर हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 44 के अनुसार गीता देवी पुत्री मंगेजा हिस्सा 1/4, लालाराम पुत्र मंगेजा हिस्सा 1/4, चांवली देवी पत्नी मंगेजा हिस्सा 1/4 के खातेदारी में अंकित है यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्षकार मीणा समुदाय (अनुसूचित जनजाति) के है तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं प्राचीन हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं जिसके अनुसार पुत्रियों को अधिकार नहीं दिया है केवल मृतक के पुत्र व (बेवा) विधवा ही उत्तराधिकारी है। वादी ने इस मद में विधि अनुसार विभाजन में 3.90 हैक्टेयर होना चाहिये तथ्य गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 10(5) में वर्णित खाता संख्या 135 व 136 का हवाला वादीगण की खातेदारी का दिया है किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि किस संवत की जमाबंदी का खाता है। इस मद में अंकित खसरा नंबरान हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 240 अनुसार खसरा नंबरान 17/1017 रकबा 0.15 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अनिता पुत्री रामचंद्र हिस्सा 1/2, गंगा देवी पत्नी रामचंद्र हिस्सा 1/12, मातादीन पुत्र भुवाना हिस्सा 1/3, रोशन पुत्र रामचंद्र हिस्सा 1/2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अंकित है। तथा इस मद में वर्णित खाता संख्या 136 में अंकित खसरा नंबर 16 रकबा 0.03 गै0मु0 चाह के साथ खसरा नंबर 15/893 रकबा 0.02 किता 2 रकबा 0.05 हैक्टेयर के हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 241 के अनुसार कल्याण सहाय पुत्र सुवा हिस्सा, 1/8, मुरली पुत्र सुवा हिस्सा 1/8, मातादीन पुत्र भुवाना हिस्सा 1/6, रामचंद्र पुत्र भगुता हिस्सा 1/6, सेडूराम पुत्र सुवा हिस्सा 1/8 व हरिनारायण पुत्र सुवा हिस्सा 1/6 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इस मद में अंकित पक्षकारों की खातेदारी भू–प्रबंध से पूर्व की खातेदारी से कम अंकित होने का तथ्य स्वीकार हैं किंतु विधिक विभाजन में 3.80 हैक्टेयर होने का तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 10(6) में वर्णित तथ्य में हाल खाता संख्या 123 का हवाला प्रतिवादीगण 9 लगायत 11 दिया किंतु किस संवत की जमाबंदी है अंकित नहीं किया है इस वाद में अंकित खसरा नंबरान 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 42/895, 43, 44/900 कुल किता 12 रकबा 3.33 हैक्टेयर के हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 123 में अंकित है। जिसके अनुसार ग्यारसीलाल पुत्र शिशुपाल हिस्सा 1/16, गुलाब देवी पत्नी शिशुपाल हिस्सा 1/16, चावलाराम पुत्र काना हिस्सा 1/4, [illegible] भंवरलाल पुत्र शिशुपाल हिस्सा 1/16, मालीराम पुत्र मालूराम हिस्सा 1/4 [illegible] पुत्री शिशुपाल हिस्सा 1/16 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। जो साबिक [illegible] है वादीगण का इस मद में यह अंकित करना की विधिक [illegible] बनता है व 1.63 हैक्टेयर अधिक दर्ज किया गया है गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। शेष इबारत अतिरिक्त कथन में अंकित है। मद संख्या 10(7) में वर्णित खाता संख्या 110 प्रतिवादी 1 लगायत 4 की हाल खातेदारी का हवाला दिया है किंतु जमाबंदी का संवत अंकित नहीं किया है जो किया जाना आवश्यक है इस मद में अंकित हाल खसरा नंबर हाल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 व 76 कुल किता 8 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/4, मुरलीधर पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

सुवालाल हिस्सा 1/4, सेडूराम पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/4, हरिनारायण पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/4 अंकित है जो भू–प्रबंध के पूर्व की जमाबंदी की तुलना में अधिक है। खातेदारी हिस्सा से अधिक अंकित किये जाने से गलत व बेबुनियाद है। वादीगण का इस मद में विधिक विभाजन में 1.70 हैक्टेयर खातेदारी मे दर्ज होने का तथ्य भी गलत है 0.96 से भी अधिक भूमि गलत दर्ज की गई है।

प्रतिवादीगणों का जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया नारायण की खातेदारी भूमि आराजीयात मौजा ग्राम बरना तहसील आमेर के साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 6 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा जो नारायण की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी सूण्डा, मंगेज, भुगता का 1/3 हिस्सा होने से दर्ज रिकॉर्ड किये गये। वादीगण भुगता के उत्तराधिकारी है तथा सूण्डा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी 16 लगायत 18 है?

............जिम्मे वादीगण

2. आया झूंथा की खातेदारी भूमि आराजीयात मौजा ग्राम बरना के साबिक खसरा नंबर 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा झूंथा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारीगण श्री काना, गोपी, मूंगा, सुवा के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ तथा काना, गोपी, सुवा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं 6 लगायत 15 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुई?

............जिम्मे वादीगण

3. आया स्व. नारायण और स्व. झूंथा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम बरना के साबिक खसरा नंबर 2, 3, 7, 11, 12, 13 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा थी जिसमें नारायण एवं झूंथा का बहिस्सा बराबर 1/2 था नारायण एवं झूंथा की मृत्यु के पश्चात केवल सूण्डा के नाम दर्ज होगी जबकि उपरोक्त आराजीयात स्व. नारायण एवं झूंथा के सभी उत्तराधिकारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थीं जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है ?

............जिम्मे वादीगण

4. आया भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधि प्रतिकूल बंटवारा करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर दी जिसे निरस्त कराते हुए उक्त तकासमा वादीगण प्रभाव शून्य घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है ?

............जिम्मे वादीगण

5. आया मौजा ग्राम बरना के हाल खाता संख्या 52, 92, 107, 111, 112, 119, 135, 136, 107 में वर्णित आराजीयात की खातेदारी को प्रभाव शून्य घोषित करवाते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ल... ...से तकासमा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है ?

............जिम्मे वादीगण

6. आया वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी ... आराजीयात में घोषित करवाते हुए अपने हिस्से की भूमि तक की खातेदारी भूमि में प्र...वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा या दखलअंदाजी न करें तथा ना किसी से करवायें ?

............जिम्मे वादीगण

7. आया विवादित आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद काबिल अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का विवादित

सहायक कलक्टर
... जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात पर कब्जा काश्त मकानात एवं कुएं तथा विद्युत कनेक्शन है। तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने–अपने नाम दर्ज भूमि पर पिछले कई वर्षों से कृषि कर रहे हैं। पूर्व बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों ने आपसी सहमति से करवाया था जिसे निरस्त करवाते हुए पुनः विभाजन एवं घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी नहीं है ?

............जिम्मे प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 8

8. आया वाद पत्र के मद संख्या– 15 में वर्णित आराजी पर वादीगण बिना कब्जे के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

............जिम्मे प्रतिवादी 7

9. आया वादीगण व समस्त प्रतिवादीगण व उनके पूर्व हकधारियों के आपसी सहमति से ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तैयार करवाया है ?

............जिम्मे प्रतिवादी 7

10. आया हाल भूप्रबन्ध के दौरान अवैध विभाजन से आराजी खाता संख्या 110, 113, 123, 69, 44, 240, 241, 174 में अंकित खातेदारी भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकार के दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के कारण प्रभाव शून्य है मद संख्या 4 मे दर्शाये गये हिस्से अनुसार काउण्टर क्लेमकर्ता खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है?

....काउन्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादी 9 ता 19

वादी की ओर से बतौर साक्ष्य दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2016 से 2019, संवत 2032 से 2035, जमाबन्दी खाता संख्या 74 संवत 2036 से 2039, खाता संख्या 2 की जमाबंदी संवत 2032 से 2035, खाता संख्या 3 की जमाबंदी संवत 2032 से 2035, खाता संख्या 73 की जमाबंदी संवत 2036 से 2039, एवं समझौता पत्र प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 किशन पुत्र श्री भुगता
2. PW2 मातादीन पुत्र श्री भुगता
3. PW3 रामेश्वर लाल बुनकर पुत्र श्री सुण्डाराम

वादी ने अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये।

1. प्रमाणित जमाबन्दी संवत 2036 से 2039– प्रदर्श–1
2. प्रमाणित खेवट खतौनी संवत 2032 से 2035– प्रदर्श–2,
3. जमाबन्दी खाता संख्या 74 संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–3
4. खाता संख्या 2 की जमाबंदी संवत 2032 से 2035 प्रदर्श–4
5. खाता संख्या 3 की जमाबंदी संवत 2032 से 2035– प्रदर्श 5
6. खाता संख्या 73 की जमा[illegible] प्रदर्श 6
7. खाता संख्या 23 की जमाबंदी संवत 2033 [illegible] प्रदर्श 7
8. खाता संख्या 52 की जमा[illegible] प्रदर्श 8
9. खाता संख्या 92 की जमाबंदी संवत [illegible] – प्रदर्श 9
10. खाता संख्या 119 – प्रदर्श 10
11. खाता संख्या 119 – प्रदर्श 11
12. खाता संख्या 135 – प्रदर्श 12
13. खाता संख्या 136 – प्रदर्श 13
14. खाता संख्या 105 – प्रदर्श 14
15. जमाबंदी खतौनी खाता संख्या 110 – प्रदर्श 15

सहायक कलक्टर
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

16. जमाबंदी खतौनी संवत 2058 से 2061 – प्रदर्श 16

प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 19 की ओर से निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. DW1 बोदुराम पुत्र कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरना जिला जयपुर
2. DW2 कैलाश पुत्र सुण्डा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना जिला जयपुर

पत्रावली बहस हेतु नियत होने पर प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 19 ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 19 द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है परन्तु सहवन से काउण्टर क्लेम में तनकीयात कायम नहीं की गई है। सहवहन से तनकीयात कायम होना रहा गया है अतः विधि अनुसार तनकीयात 10 कायम की गई।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादीगण की ओर से दिनांक 09.02.2024 को लिखित बहस पेश की गई। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया नारायण की खातेदारी भूमि आराजीयात मौजा ग्राम बरना तहसील आमेर के साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 6 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा जो नारायण की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी सूण्डा, मंगेज, भुगता का 1/3 हिस्सा होने से दर्ज रिकॉर्ड किये गये। वादीगण भुगता के उत्तराधिकारी है तथा सूण्डा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी 16 लगायत 18 है?

   ....जिम्मे वादीगण

2. आया झूंथा की खातेदारी भूमि आराजीयात मौजा ग्राम बरना के साबिक खसरा नंबर 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा झूंथा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारीगण श्री काना, गोपी, मूंगा, सुवा के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ तथा काना, गोपी, सुवा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं 6 लगायत 15 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुई?

   ....जिम्मे वादीगण

3. आया स्व. नारायण और स्व. झूंथा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम बरना के साबिक खसरा नंबर 2, 3, 7, 11, 12, 13 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा थी जिसमें नारायण एवं झूंथा का बहिस्सा बराबर 1/2 था नारायण एवं झूंथा की मृत्यु के पश्चात केवल सूण्डा के नाम दर्ज होगी जबकि उपरोक्त आराजीयात स्व. नारायण एवं झूंथा के सभी उत्तराधिकारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थीं जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है ?

   ....जिम्मे वादीगण

4. आया भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधि प्रतिकूल बंटवारा करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर दी जिसे निरस्त कराते हुए उक्त तकासमा वादीगण प्रभाव शून्य घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है ?

   ....जिम्मे वादीगण

5. आया मौजा ग्राम बरना के हाल खाता संख्या 52, 92, 107, 111, 112, 119, 135, 136, 107 में वर्णित आराजीयात की खातेदारी को प्रभाव शून्य घोषित करवाते हुए वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
गोर न. जयपुर

एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के मध्य पुनः नये सिरे से तकासमा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है ?

............जिम्मे वादीगण

6. आया वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी विवादित आराजीयात में घोषित करवाते हुए अपने हिस्से की भूमि तक की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा या दखलअंदाजी न करें तथा ना किसी से करवायें ?

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 लगायत 6 सुविधा की दृष्टिगत एक साथ निर्णित की जा रही है। वाद में वादीगण की ओर से वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में मातादीन, किशन, रामेश्वर लाल बुनकर प्रतिवादी संख्या 10 बोदूराम प्रतिवादी संख्या 18 ने अपनी साक्ष्य दर्ज करवाई, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से कोइे मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2016–2019 प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2032–2035, प्रदर्श–2 जमाबंदी खाता संख्या 74 संवत् 2036–2039 प्रदर्श–3 साबिका खाता संख्या –2 की जमाबंदी संवत् 2032–2035 प्रदर्श–4 खाता संख्या 3 की जमाबंदी संवत् 2032–2035 प्रदर्श–5 खाता संख्या 73 संवत् 2036–2039 प्रदर्श–6 खाता संख्या 52, प्रदर्श –8 खाता संख्या 92 प्रदर्श–9 खाता संख्या 111, प्रदर्श 10 खाता संख्या 119, प्रदर्श–11 खाता संख्या 135, प्रदर्श–12 खाता संख्या 136, प्रदर्श–13 खाता संख्या 107, प्रदर्श–14 खाता संख्या 110, प्रदर्श–15 समझौता पत्र प्रदर्श–17 प्रस्तुत किये। तनकीयात् 1 व 2 नारायण और झूंठा के वारिसान के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 1 व 6 की जमाबंदी प्रदर्श–1 से तथा वादीगण की मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट जाहिर है कि सूण्डा, मंगेज, भगुता तीनों नारायण के पुत्र है तथा उनके नाम प्रदर्श–1 में दर्ज होकर प्रत्येक का हिस्सा अंकित है। साथ ही प्रदर्श–3, प्रदर्श –4 की जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि झूंथा के वारिसान काना, गोपी, गंगा, सुवा थे प्रतिवादीगण द्वारा वे झूंथा के वारिसान ना होने से इंकार नहीं किया। उक्त विवेचन अनुसार वादी ने तनकी संख्या 1 एवं 2 साबित करने में सफल रहे है। तनकी संख्या–3 मौखिक साक्ष्य वादी एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–3 प्रदर्श–5 से सिद्ध है।

सहायक कलक्टर
आमेर न. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–4 भू प्रबंध [illegible] और प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि के विभाजन बाबत होकर कानूनी [illegible] है [illegible] वादीगण और प्रतिवादी संख्या–9 लगायत 11, 17 लगायत 19 के अधि[illegible] द्वारा दौरान बहस जाहिर किया विधि अनुसार भू–प्रबंध अधिकारियों को कृषि भूमि [illegible] बंटवारा करने का तथा पृथक से खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि भू–प्रबंध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करते हैं वह प्रभावशून्य होता है ऐसी सूरत में भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो पृथक पृथक खातेदारी प्रदर्श–8 लगायत 15 से दर्ज की है

वह विधि विरूद्ध प्रभावशून्य है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2015 (2) आर. आर. टी. (2),1998 आर. बी. जे. 274,1998 (5) आर. बी. जे. 290,1998 (5) आर.बी. जे 610,2001 (8) आर. बी. जे 170,2001 (8) आर. आर. टी. 244,2003 (10) आर. बी. जे. 118,2008 (1) आर. आर. टी.। जिससे हम पूर्णतः सहमत है। वादीगण के वादपत्र पर प्रतिवादीगण 9 लगायत 19 ने अपनी सहमति पूर्ण व्यक्त की है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में ना मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण तनकी संख्या 1 लगायत 6 को साबित करने में सफल रहे है।

7. आया विवादित आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद काबिल अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त मकानात एवं कुएं तथा विद्युत कनेक्शन है। तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने–अपने नाम दर्ज भूमि पर पिछले कई वर्षों से कृषि कर रहे हैं। पूर्व बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों ने आपसी सहमति से करवाया था जिसे निरस्त करवाते हुए पुनः विभाजन एवं घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी नहीं है ?

...........जिम्मे प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 8

तनकी संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 एवं 8 पर था परन्तु प्रतिवादीगण ने इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित नहीं करवाये है। ना ही मौखिक साक्ष्य परिक्षित करवाये है। इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से तनकी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 एवं 8 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

8. आया वाद पत्र के मद संख्या– 15 में वर्णित आराजी पर वादीगण बिना कब्जे के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

............जिम्मे प्रतिबादी 7

9. आया वादीगण व समस्त प्रतिवादीगण व उनके पूर्व हकधारियों के आपसी सहमति से ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तैयार करवाया है ?

............जिम्मे प्रतिवादी 7

तनकी संख्या 8 एवं 9 सुविधा की दृष्टि से एकसाथ निर्णित की जा रही है। चूंकि तनकी संख्या 1 लगायत 7 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है फलस्वरूप तनकी सं[illegible] प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

10. आया हाल भूप्रबन्ध के दौरान [illegible] आराजी खाता संख्या 110, 113, 123, 69, 44, 240, 241, 174 में अंकित खातेदारी भू[illegible] विभाग द्वारा बिना अधिकार के दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के कारण प्रभाव शून्य है मद संख्या 4 मे दर्शाये गये हिस्से अनुसार काउण्टर क्लेमकर्ता खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है?

....काउन्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादी 9 ता 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने भार प्रतिवादी संख्या 9 ता 19 पर था। वादी मय काउण्टर क्लेमकर्ता विधि अनुसार भू–प्रबंध अधिकारियों को कृषि भूमि का बंटवारा करने का तथा पृथक से खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि भू–प्रबंध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करते हैं वह प्रभावशून्य होता है ऐसी सूरत में भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो पृथक पृथक खातेदारी प्रदर्श–8 लगायत 15 से दर्ज की है वह विधि विरूद्व प्रभावशून्य है । जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2015 (2) आर. आर. टी. (2),1998 आर. बी. जे. 274,1998 (5) आर. बी. जे. 290,1998 (5) आर.बी. जे 610,2001 (8) आर. बी. जे 170,2001 (8) आर. आर. टी. 244,2003 (10) आर. बी. जे. 118,2008 (1) आर. आर. टी.। जिससे हम पूर्णतः सहमत है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या/ काउण्टरक्लेमकर्ता 9 लगायत 19 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 9 लागयात 19/काउण्टरक्लेमकर्ता के पक्ष में साबित होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के साबिक खाते में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा हाल भू–प्रबंध के दौराने किये गये विभाजन से बने खाता संख्या नया 113, 123, 69, 44, 240, 110, 174 में अंकित खातेदारी भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना अधिकार के दर्ज रिकॉर्ड को शून्य घोषित किया जता है तथा तहसीलदार जालसू को आदेशित किया जाता है कि साबिक ख.न. 1 एवं 6 से बने नवीन ख. न. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/892, 10/891, 29/969, 29/1018, 29, 42, 43, 44/900, 14 कि खातेदारी भू–प्रबन्ध से पूर्व जमाबंदी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 से 19 1/3 हिस्से का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करें, तथा साबिक ख. न. 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 से बने नवीन ख.न. 17, 18, 31, 32, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, [illegible] की खातेदारी भू–प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के अनुसार प्रतिवादी संख्या [illegible] हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी संख्या 9 से 15 हिस्सा 1/4 का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करे तथा साबिक ख.न. 2, 3, 7, 11, 12, 13 से बने नवीन ख.न. 10, 11, 12, 13, 8/889, 9/890, 28, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 24, 25 की खातेदारी भू–प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 से 15 हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 17 से 19 हिस्सा 1/2 का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करे।

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 640/2008
बउनवानी – श्री किशन बनाम मुरली वगै0
निर्णय दिनांक :– 10.02.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अंजू वर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –640/2008

वाद प्रस्तुति दिनांक –01.04.2008

1. श्री किशन
2. रामचंद्र मृतक दौराने दावा
   2/1 श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री रामचंद्र
   2/2 रोशन पुत्र स्व. श्री रामचंद्र उम्र – 14 वर्ष जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगा देवी निवासीयान ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/3 अनिता पुत्री स्व. श्री रामचंद्र पत्नी श्री रामप्रसाद
   2/4 सुनिता मीणा पुत्री स्व. श्री रामचंद्र पत्नी श्री सांवरमल निवासीयान ग्राम खेडी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. मातादीन

पुत्रान भगुता जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।

............वादीगण

बनाम

1. मुरली
2. हरिनारायण
3. कल्याण सहाय
4. सेडराम

पुत्रान सुवा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।

5. मूंगा पुत्र झूंथा मृतक दौराने दावा
   5/1 दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री मूंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
6. मु. फूली बेवा गोपी मृतक दौराने दावा
7. बद्री पुत्र गोपी
8. भगवान सहाय पुत्र गोपी

जाति मीणा, निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।

9. मालीराम
10. बोदूराम
11. चावलराम

पुत्रान कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरना, तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।

12. श्रीमती गुलाब बेवा शिशुपाल
13. अनार पुत्री श्री शिशुपाल
14. ग्यारसी लाल पुत्र शिशुपाल
15. भंवरलाल पुत्र शिशुपाल

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गुलाब देवी

16 मंगेजा पुत्र नारायण मृतक दौराने दावा

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

16/1 चांवली देवी पत्नी मंगेज
16/2 लालाराम पुत्र मंगेज
जाति मीणा निवासीयान ग्राम बरना, तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।
16/3 श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री मंगेज पत्नी श्री सुरेश
16/4 श्रीमती लाली देवी पुत्र स्व. श्री मंगेज पत्नी श्री सरदार समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

17. छीतर पुत्र सूण्डा मृतक दौराने दावा
17/1 श्रीमती बनारसी देवी पत्नी स्व0 श्री छीतर
17/2 रामकिशोर पुत्र स्व. श्री छीतर
17/3 ताराचंद पुत्र स्व. श्री छीतर
17/4 महावीर पुत्र स्व. श्री छीतर
17/5 श्रीमती कब्बू पुत्री स्व. श्री छीतर पत्नी राकेश जाति मीणा
17/6 श्रीमती विमला देवी पुत्र स्व. श्री छीतर पत्नी ओमप्रकाश निवासीयान ग्राम रायथल रामपुरा तहसील सांभर जयपुर।
17/7 श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री छीतर पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

18. कैलाश
19. प्रहलाद पुत्रान सूण्डा जाति मीणा निवासी ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.02.2025

तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 9 लागयात 19/काउण्टरक्लेमकर्ता के पक्ष में साबित होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के साबिक खाते में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा हाल भू–प्रबंध के दौराने किये गये विभाजन से बने खाता संख्या नया 113, 123, 69, 44, 240, 110, 174 में अंकित खातेदारी भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना अधिकार के दर्ज रिकॉर्ड को शून्य घोषित किया जता है तथा तहसीलदार जालसू को आदेशित किया जाता है कि साबिक ख.न. 1 एवं 6 से बने नवीन ख. न. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/892, 10/891, 29/969, 29/1018, 29, 42, 43, 44/990, 44 कि खातेदारी भू–प्रबन्ध से पूर्व जमाबंदी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16, 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 से 19 1/3 हिस्से का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करे तथा साबिक ख. न. 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 से बने नवीन ख.न. 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42/895 की खातेदारी भू–प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 9 से 15 हिस्सा 1/4 का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करे। तथा साबिक ख.न. 2, 3, 7, 11, 12, 13 से बने नवीन ख.न. 10,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 640/2008
बउनवानी – श्री किशन बनाम मुरली वगै0
निर्णय दिनांक :– 10.02.2025

नवीन ख.न. 10, 11, 12, 13, 8/889, 9/890, 28, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 24, 25 की खातेदारी भू–प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 से 15 हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 17 से 19 हिस्सा 1/2 का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ––––
ओहदा –––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मनामा	4 रुपये		बबत् इजराय हुक्मनामा	4 रुपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.13 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested